(अत्यावश्यक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/गुण. एवं प्रशि. अनु./गुण.प्र./प्रवेशोत्सव/22492/2025–26   दिनांक : यथा हस्ताक्षर

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।

विषय : शैक्षिक सत्र : 2026–2027 हेतु प्रवेशोत्सव सघन अभियान आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा 03 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित करने के उद्देश्य से दिनांक : 25.03.2026 से प्रवेशोत्सव हेतु हाऊसहोल्ड सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जाना है। उक्त क्रम में लेख है कि इस वर्ष प्रवेशोत्सव हेतु सर्वे कार्य हेतु दिनांक : 27.03.2026, 06.04.2026, 10.04.2026 एवं 15.04.2026 को सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसके सफल एवं सुचारू संचालन हेतु अग्रांकितानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें :–

1. इस वर्ष प्रवेशोत्सव हेतु सर्वे कार्य को राज्य के समस्त विद्यालयों में चार अलग–अलग चरणों दिनांक : 27.03.2026, 06.04.2026, 10.04.2026 एवं 15.04.2026 को सघन अभियान चलाया जाकर सर्वे कार्य अभियान के रूप में करवाया जाएगा।
2. संबंधित पीईईओ/यूसीसीईओ द्वारा उनके क्षेत्र में कार्यरत समस्त उप–प्राचार्य (यथा स्थान पदस्थापित), व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एल–1, अध्यापक एल–2, वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकाल्याध्यक्ष ग्रेड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक आदि के बीच पीईईओ/यूसीसीईओ क्षेत्र के अधीनस्थ समस्त ग्राम व ढाणी, मगरा आदि के आबादी क्षेत्र के घरों को समान रूप से आवंटित (मकान नंबर/मौहल्ला/वार्ड वार) कर सूचना निर्धारित प्रपत्र–1 (संलग्नितानुसार) में दिनांक : 16.03.2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे।
3. पीईईओ/यूसीसीईओ अधीनस्थ उक्त सभी कार्मिक उनको आवंटित मकान/घर पर प्रवेशोत्सव के सघन अभियान के दिवस को उपस्थित होकर शिक्षक एप में डिजिटल प्रवेशोत्सव मॉड्यूल में प्रविष्टियां सुनिश्चित करेंगे।
4. इस हेतु प्रत्येक पीईईओ/यूसीसीईओ क्षेत्र में कार्य दायित्व दिए गए कार्मिकों को चार बराबर–बराबर समूहों में बांटकर निर्धारित दिनांक को हाऊसहोल्ड सर्वे कार्य करवाया जाएगा। सम्बन्धित शिक्षकगण आवंटित क्षेत्र में घर–घर जाकर 03 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक अनामांकित, ड्रॉपआउट एवं प्रथम प्रवेश योग्य बालक–बालिकाओं का सर्वे करेंगे तथा प्रत्येक घर की जानकारी डिजिटल रूप से प्रवेशोत्सव ऐप में प्रारूप अनुसार शुद्ध एवं पूर्ण रूप से प्रविष्ट करेंगे।
5. अभियान की प्रत्येक निर्धारित तिथि को 25 प्रतिशत कार्मिकों के समूह द्वारा सुबह से शाम तक घ ार–घर जाकर सिर्फ प्रवेशोत्सव हाऊसहोल्ड सर्वे एवं प्रविष्टि का कार्य किया जाएगा एवं शेष 75 प्रतिशत कार्मिक विद्यालय में उपस्थित रह कर नियमित रूप से कार्य करते रहेंगे।
6. इसी तरह अभियान के आगामी तीन अलग–अलग चरणों में शेष रहे कार्मिकों को 25–25 प्रतिशत के अनुसार घर–घर जाकर प्रवेशोत्सव हाऊसहोल्ड सर्वे एवं प्रविष्टि का कार्य करना होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.05 22:17:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20847975

7. सर्वे अभियान हेतु निर्धारित तिथियों को राज्य के सभी अधिकारीगण यथा– संयुक्त निदेशक, सीडीईओ, डीईओ प्रारम्भिक एवं माध्यमिक, एडीपीसी, डाइट प्राचार्य, सीबीईओ, एडीईओ, पीईईओ, यूसीसीईओ, एसीबीईओ, सहायक निदेशक, एपीसी, पीओ, डाइट फैकल्टी इत्यादि द्वारा जिले के सभी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु संयुक्त निदेशक द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को समान रूप से निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित कर उक्त प्रवेशोत्सव सघन अभियान की तिथियों को शत–प्रतिशत निरीक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसी क्रम में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की समेकित रिपोर्ट संलग्न निर्धारित प्रारूप–2 में इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. rajpraveshotsav@gmail.com पर अव्वल समय में प्रेषित किया जाना है।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण विजिट के दौरान सर्वे की गुणवत्ता, ऐप में डेटा प्रविष्टि की शुद्धता एवं घर–घर कवरेज की जांच करेंगे एवं यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पंचायत में कोई घर सर्वे से शेष न रहे। आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन, सुधारात्मक निर्देश एवं सम्बलन प्रदान करेंगे।
9. राज्य स्तर एवं निदेशालय स्तर से नामित जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रवेशोत्सव कार्य में लगे कार्मिकों एवं जिला स्तर से उनके निरीक्षण के लिए लगाए गए अधिकारियों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।
10. सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ यह विशेष रूप से सुनिश्चित करें कि यदि किसी कारणवश पंचायत अथवा परिक्षेत्र का कोई भी घर सर्वे से वंचित रह जाता है तो उक्त कार्मिक आगामी 05 दिवस में पुनः सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
11. आंगनबाड़ी के बच्चों के प्रवेश हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग तथा 18 साल से अधिक आयु के बालक/बालिकाओं के लिए साक्षरता विभाग का सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
12. सर्वे उपरांत नामांकन योग्य बच्चों का त्वरित रूप से विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य केवल औपचारिक सर्वे नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने का संवेदनशील एवं दायित्वपूर्ण प्रयास है, अतः डेटा प्रविष्टि में शुद्धता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो। आप सभी से अपेक्षा है कि इस कार्य को पूर्ण समर्पण, उत्तरदायित्व एवं टीम भावना के साथ संपादित करवाते हुए **"कोई भी बालक–बालिका विद्यालय से वंचित न रहे"** के लक्ष्य को शत–प्रतिशत रूप से प्राप्त करेंगे।

उल्लिखितानुसार प्रदत्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर। (जरिये–ईमेल)
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। (जरिये–ईमेल)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.05 22:17:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20847975

4. निजी सहायक, समस्त जिला कलक्टर। (जरिये–ईमेल)
5. निजी सचिव, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ।
6. निजी सचिव, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर। (जरिये–ईमेल)
8. निजी सचिव/निजी सहायक/स्टाफ ऑफिसर कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये–ईमेल)
9. सहायक निदेशक, मॉनिटरिंग/माध्यमिक/शालादर्पण/वीआईपी/निरीक्षण अनुभाग, कार्यालय हाजा। (जरिये–ईमेल)
10. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत। (जरिये ई–मेल)
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ। (जरिये–ईमेल)
12. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर। (जरिये–ईमेल)
13. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर। (जरिये–ईमेल)
14. समस्त प्राचार्य, डाईट। (जरिये–ईमेल)
15. मेनेजर, गुरूनानक भवन संस्थान, जयपुर। (जरिये–ईमेल)
16. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा पालनार्थ। (जरिये–ईमेल)
17. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
18. समस्त संस्था–प्रधान।
19. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.05 22:17:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20847975

–:: निर्धारित प्रारूप–1 ::–

पंचायत का नाम ....

विद्यालय का नाम...

जिला...

क्र.सं.	कार्मिक/अधिकारी का नाम	पद	एम्प्लोई आईडी	मोबाईल नं.	आवंटित क्षेत्र का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

नोट :– समस्त पीईईओ/यूसीसीईओ द्वारा दिए गए गूगल फॉर्म (https://forms.gle/91AsnMfPt5Xht7MY8) को अनिवार्य एवं पूर्ण रूप से भरवाते हुए सर्वे कार्य में नियुक्त समस्त शैक्षिक स्टाफ के कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न करवाया जाना सुनिश्चित करें।

–:: निर्धारित प्रारूप–2 ::–

अधिकारी का नाम ....

पद एवं पदस्थापन ....मोबाईल नं0............................

जिला...

क्र.सं.	निरीक्षण की गयी पंचायत का नाम	वार्ड, मोहल्ले का विवरण	सर्वे के दौरान उपस्थित शिक्षक का नाम एवं स्टाफ आईडी	शिक्षक द्वारा निरीक्षण के समय तक एप पर कितनी प्रविष्टियां की गयी	शिक्षक के सर्वे कार्य के सम्बन्ध में टिप्पणी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.03.05 22:17:35 IST
Reason: Approved